



A Guide For Law Enforcer's, Health Professionals & Stakeholders

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

(कोटपा 2003 एक संक्षिप्त परिचय)

6.4 मिलियन से भी अधिक व्यक्ति हर वर्ष
तम्बाकू के सेवन से मरते हैं.....



The Union

International Union Against
Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor





बालाजी सेवा संस्थान एक परिचय

बालाजी सेवा संस्थान विगत 15 वर्षों से समाज के पिछड़े एवं गरीब लोगों के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, वित्तीय साक्षरता एवं डिजीटल साक्षरता, कौशल विकास, तम्बाकू, टी.बी. एवं एच.आई.वी एवं एड्स नियंत्रण कार्य के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, बालाजी सेवा संस्थान एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी संस्थान है जो कि उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं बिहार में कार्यरत है। संस्था का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है।

बालाजी सेवा संस्थान मुख्य रूप से व्यापक ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेश, माईक्रोफाईंनेंस, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा और अर्थिक निर्भरता एवं आजीविका के क्षेत्र में अपने विभिन्न माध्यमों से बिहार, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड के जिलों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवायें प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जैसा कि हमारे नाम से ही पता चलता है कि मानव सेवा ही हमारा धर्म है, हम मानते हैं कि हर जीवन को बराबर मान और सम्मान के साथ जीने का एक समान अधिकार है। हमारे साथी मानव सेवा के लिए समर्पण और करुणा के साथ सेवा भाव से समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नाबार्द के सहयोग से बालाजी ने गत पाँच वर्षों से 625 स्वयं सहायक समूह का निर्माण किया। 30 किसान क्लब एक किसान उत्पादक कम्पनी का निर्माण, 800 से अधिक वित्तीय साक्षरता पर कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है। जिसमें लगभग अभी तक 50000 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। ओ.एन.जी.सी. देहरादून के सहयोग से संस्थान के द्वारा सरकारी विद्यालयों में ई लर्निंग क्लासेस भी चलायी जा रही है। जिसमें देहरादून के रिस्पना नदी के किनारे रहे बच्चों को वीडियो एवं प्रोजेक्टर द्वारा रोचक ढंग से पढ़ाया जाता है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत बिहार सरकार के गिव इन्डिया के सहायता से कम लागत का 1820 शौचालयों का निर्माण संस्था द्वारा बिहार के विभिन्न गावों में किया जा चूका है। इसके साथ ही शाम की पढ़ाई या खाना बनाने समय मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने वाले लगभग 3000 परिवारों के बीच सोलर लालटेन का वितरण भी किया जा चुका है। द यूनियन साउथ ईस्ट ऐशिया के सहयोग से टी.बी. एवं तम्बाकू उम्बूलन पर कार्य कर रहे हैं। टी.बी. मुक्त भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत 25000 परिवारों को सेवा प्रदान किया जा चुका है।

तम्बाकू उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए समय-समय पर स्कूल एवं कालेजों में संस्थान द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। बालाजी सेवा संस्थान टीम के अधक प्रयास एवं उत्तराखण्ड तम्बाकू नियंत्रण विभाग, टिहरी जिला तम्बाकू नियंत्रण विभाग एवं द यूनियन साउथ ईस्ट ऐशिया के सहयोग से टिहरी जिले 26 जनवरी 2015 को स्मोक फ्री घोषित किया गया। साथ ही मसूरी शहर को 31 मई 2018 को स्मोक फ्री घोषित किया है। बालाजी सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजनौर, शामली एवं सहारनपुर तम्बाकू नियंत्रण सेल के साथ मिलकर जिले के सभी स्कूलों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है, अब तक 350 स्कूलों को तम्बाकू मुक्त किया जा चुका है।

बालाजी सेवा संस्थान उत्तराखण्ड राज्य एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण विभाग एवं द यूनियन साउथ ईस्ट ऐशिया के साथ मिलकर उत्तराखण्ड को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

साथ ही संस्था विगत 8 वर्षों से लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से लगभग 75000 कामगार प्रवासियों को अपनी सेवा देकर लाभान्वित किया है।

अनुक्रम

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1	भारत और उत्तराखण्ड में तंबाकू के उपयोग का दबाव और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव	02 – 06
2	सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा)	07
3	धारा-4 सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध	07 – 08
4	धारा-5 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध	08 – 10
5	धारा-6 अठारह साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध	11 – 12
6	धारा-7 तंबाकू उत्पादों के सभी पैकेट पर तस्वीर के साथ स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी	12 – 13
7	धारा 4 के उल्लंघन के मामले अनुलग्नक – 1 में जुर्माने के लिए अधिकृत अधिकारी।	14 – 15
8	धारा 6 के उल्लंघन के मामले अनुलग्नक – 2 में जुर्माने के लिए अधिकृत अधिकारी।	16
9	धारा 5 व 7 के उल्लंघन के मामले अनुलग्नक – 3 में जुर्माने के लिए अधिकृत अधिकारी।	17
10	अर्थदण्ड रशीद	17
10	धूम्रपान मुक्त क्षेत्र के कार्यन्वयन को मापने के लिए मापदण्ड	18
11	तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी मुख्य आदेश	19 – 32
12	तालिका 1 (अर्थदण्ड एवं दण्ड)	33

**हर रोज लगभग एक लाख युवा नियमित धूम्रपान की शुरूवात करते हैं,
जिसमें 20 प्रतिशत की उम्र 10 वर्ष से कम होती है।**

भारत में तम्बाकू उपयोग की स्थिति

- ＊ भारत में प्रतिवर्ष 13 लाख व्यक्तियों की मौत तम्बाकू के सेवन से होती है।
- ＊ प्रतिदिन 3500 लोग तम्बाकू के सेवन से मरते हैं।
- ＊ 40 प्रतिशत टी.बी. के मरीजों की मौत धूम्रपान की वजह से होती है।
- ＊ 28.6 प्रतिशत (266.8 मिलीयन) व्यक्ति तम्बाकू का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं।
- ＊ भारत में हर 10 वाँ (10.7 प्रतिशत, 99.5 मिलीयन) व्यक्ति वर्तमान में तम्बाकू को धूम्रपान के रूप में इस्तेमाल करता है।
- ＊ भारत में हर 5 वाँ (21.4 प्रतिशत, 199.4 मिलीयन) व्यक्ति वर्तमान में तम्बाकू को धूम्रहित के रूप में इस्तेमाल करता है।
- ＊ लगभग 5 में से 2 (38.5 प्रतिशत) धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों ने धूम्रपान छोड़ने का प्रयास किया है।

उत्तराखण्ड में तम्बाकू उपयोग की स्थिति

- ＊ 26.5 प्रतिशत (266.8 मिलीयन) व्यक्ति तम्बाकू का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं।
- ＊ 18.1 प्रतिशत व्यक्ति वर्तमान में तम्बाकू को धूम्रपान के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
- ＊ 12.4 प्रतिशत व्यक्ति वर्तमान में तम्बाकू को धूम्रहित के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
- ＊ 35.7 प्रतिशत धूम्रपान करने वाले व्यक्ति जिन्होंने पिछले 12 महीनों में धूम्रपान छोड़ने का प्रयास किया है।

तम्बाकू से स्वास्थ्य पर प्रभाव

- ＊ तम्बाकू के उपयोग से कैंसर जैसी अन्य घातक बिमारी होती है।
- ＊ तम्बाकू खाने वाले एवं धूम्रपान के धुएं से बाल और कपड़ों में बेहद बदबू आती है।
- ＊ तम्बाकू से दांत पीले और दाग—धब्बे वाले हो जाते हैं और सांस भी बदबूदार हो जाती है।
- ＊ चबाने वाले तम्बाकू के उपयोग से थोड़े समय में ही होंठ फटने, सफेद धब्बे, घावों और मुँह से खून बहने इत्यादि की परेशानी हो जाती है।
- ＊ मुँह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण सिर्फ तम्बाकू है।

तम्बाकू उन्मूलन कक्ष (TCC)

तम्बाकू छोड़ने के लिए उत्तराखण्ड के लगभग 9 जिलों में तम्बाकू छोड़ने के सेंटर (TCC) खोले गए हैं। जहाँ मनो चिकित्सक द्वारा मुफ्त में ईलाज, परामर्श एवं दवाईयों की मदद से धूम्रपान एवं कई अलग प्रकार के तम्बाकू की लत को छूड़ाने में मदद दी जाती है।

**अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करें।
1800227787**

तम्बाकू प्रयोग के प्रकार

यह सभी तम्बाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इन उत्पादों से कैंसर हो सकता है।



सिगरेट में खतरनाक जहरीले पदार्थ



तम्बाकू से होने वाली प्रमुख बीमारियां

कैंसर



मुँह का कैंसर



फैफड़े का कैंसर

चिरकालिक रोग

अभिघात

लेरिक्स
ओरोफेरिग्स

ट्रकिया
ब्रांक्स
या फैफड़ा

कोरोनरी हृदय रोग
निमोनिया (क्षयरोग)

चिरकालिक
अवरुद्ध पुलमोनरी
रोग, दमा और
वसन सम्बंधी
अन्य प्रभाव
नपुसंकता

अत्यधिक जोखिम वाले रोग:

- चिरकालिक श्वसन सम्बंधी रोग, दमा, क्षयरोग और बार-बार छाती में संक्रमण
- कोरोनरी हृदय रोग
- फैफड़े का कैंसर

महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव:

- प्रजननता में कमी
- स्फूर्त गर्भपात
- शिशुओं के जन्म के समय कम वजन, मृत बच्चे का जन्म
- गर्भाशय कैंसर



स्मोकर गेंगरिन
(बरजर रोग)

स्रोत :- यू एस डिपार्टमेन्ट आफ हेल्थ ह्यूमेन सर्विसेज। द हेल्थ कांसिवेन्सेस आफ स्मोकिंग : ए रिपोर्ट आफ द सर्जन जनरल अटलांटा,

यू एस डिपार्टमेन्ट आफ हेल्थ एंड ह्यूमेन सर्विसेज सेंटर फार डिजिज कन्ट्रोल एंड प्रिवेन्सन, नेशनल सेंटर फार क्रानिक, डिजिज,

प्रिवेन्सन एंड हेल्थ प्रमोशन, आफिस आन स्मोकिंग एंड हेल्थ, अटलांटा, 2004

http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistic/sgr/sgr_2004/chapters.htm (5 दिसम्बर 2007 को प्राप्त)

धूम्रपान के विविध प्रकार

1. पहले प्रकार का धूम्रपान (फर्स्ट हैन्ड स्मोक) :- में धूम्रपान का धुआँ स्वयं तम्बाकू का कश लेने वाले की साँस द्वारा फेफड़ों में जाता है।
2. दूसरे प्रकार का धूम्रपान (सेकेन्ड हैन्ड स्मोक) अप्रत्यक्ष धूम्रपान होता है जो सिगरेट पीने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़े गये धुएँ से उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुँचता है जो धूम्रपान नहीं करता है।



विश्व में तम्बाकू का सेवन करने से प्रतिवर्ष लगभग 64 लाख लोगों की मृत्यु होती है जिनमें 9 लाख लोग वो हैं जो दूसरे प्रकार के (सेकेन्ड हैन्ड स्मोक) धूम्रपान का शिकार होते हैं।

3. तीसरे प्रकार का धूम्रपान (थर्ड हैन्ड स्मोक) :- अप्रत्यक्ष धूम्रपान होता है जो धूम्रपान के काफी देर बाद भी धुएँ के रूप में बालों, फर्श पर बिछे कालीनों और घर की वस्तुओं पर चिपके रह जाते हैं तथा घर में खेल रहे छोटे बच्चों द्वारा उस वस्तु को मुँह में लिए जाने पर वस्तु पर चिपका तम्बाकू के धुएँ के कण उस बच्चे के शरीर को प्रभावित करते हैं।



गर्भवती महिलायें जो गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करती हैं या धूम्रपान करने वालों के सम्पर्क में आती हैं उन महिलाओं के गर्भस्थ बच्चे में भी धुएँ के विषैले तत्व पाये गये हैं।

उत्तर भारत के प्रैदृश्य में उत्तराखण्ड

28.6%
INDIA

26.5%
UTTARAKHAND

35.5%
UP

युवा तम्बाकू के उपयोग से जुड़े कारक

युवाओं में तम्बाकू के उपयोग के कुछ ऐसे कारक निहित होते हैं जो कि इनमें तम्बाकू के उपयोग को और अधिक बढ़ावा देते हैं। युवाओं में तम्बाकू के उपयोग के साथ जुड़े कुछ कारकों में निम्नलिखित कारक शामिल हैं:-

- 1) निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति।
- 2) साथियों एवं भाई-बहनों के द्वारा तम्बाकू का उपयोग एवं उपयोग करने का समर्थन।
- 3) फिल्मों में अभिनेता/अभिनेत्रियों द्वारा धूम्रपान से प्रभावित होकर।
- 4) तम्बाकू के उपयोग को बढ़ावा देने वाले कारकों जैसे की मित्रों द्वारा दबाव इत्यादि का विरोध करने में कौशल की कमी।
- 5) माता-पिता या अभिभवक द्वारा धूम्रपान अथवा माता-पिता का तम्बाकू उपयोग में समर्थन।
- 6) तम्बाकू उत्पादों की आसान पहुँच, उपलब्धता एवं कम कीमत।
- 7) स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा का अभाव।
- 8) युवाओं में आत्मविश्वास की कमी।
- 9) तम्बाकू के विज्ञापनों के सम्पर्क में आकर उनसे प्रभावित होने पर।
- 10) व्यक्तित्व का आक्रामक व्यवहार।



In just one year, cigarettes left about
12,000 KIDS MOTHERLESS

That's 33 mothers a day.

धूम्रपान छोड़ने के फायदे

धूम्रपान छोड़ने से आप बेहतर महसूस करेंगे और आप भोजन का बेहतर स्वाद ले पायेंगे।

धूम्रपान छोड़ने के 2 घंटे बाद :- निकोटीन आपकी अंग प्रणाली से बाहर हो जाता है।

12 घंटे बाद :- कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी अंग प्रणाली से बाहर हो जाता है और फेफड़े का कार्य बेहतर होने लगता है।

2 दिन बाद :- आपकी सुगंध की संवेदना बढ़ जाती है, शारीरिक कार्यकलाप आसान हो जाता है और अधिक मात्रा में वायु फेफड़े में जाती है।

2 महीने बाद :- फेफड़े अधिक क्षमता से कार्य करते हैं और म्यूक्स को दूर करने में सक्षम होते हैं, अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है।

12 महीने बाद :- धूम्रपान जारी रखने वाले व्यक्ति की तुलना में हृदय रोग का जोखिम आधा हो जाता है।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून (कोटपा, 2003)

लोगों को तंबाकू के नुकसानदेह प्रभावों और दूसरों के धुंए (सेकेंड हैंड स्मोक, एसएचएस) से बचाने के लिए भारत में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून कोटपा 2003 लागू किया गया।

यह कानून सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण के नियमों से संबंधित है। कोटपा के विशेष प्रावधानों में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं:

- (1) धारा 4 : सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान पर प्रतिबंध।
- (2) धारा 5 : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और परोक्ष विज्ञापन, संवर्धन तथा इसके प्रायोजित किए जाने पर प्रतिबंध।
- (3) धारा 6 (ए) : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को करने पर प्रतिबंध।
- (4) धारा 6 (बी) : शिक्षा संस्थाओं के 100 गज के घेरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।
- (5) धारा 7 : अनिवार्य वैधानिक चेतावनी का मुद्रण (तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर तस्वीर के साथ चेतावनी।

धारा – 4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थल की परिभाषा : सार्वजनिक स्थल का मतलब ऐसी कोई भी जगह है जहाँ जनता आ जा सकती है भले ही यह अधिकारपूर्वक हो या नहीं और इसमें ऑडिटोरियम, अस्पताल बिल्डिंग, रेलवे की प्रतीक्षालय, एम्युजमेंट सेंटर (मनोरंजन केन्द्र) रेस्त्रां, सार्वजनिक कार्यालय, अदालत की इमारत, शिक्षा संस्थान, पुस्तकालय, जन सुविधाएँ, खुले ऑडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप/स्टैड, सभी कार्यस्थल, रीफेशमेंट रूम (जलपान कक्ष) बैकवेट हॉल, एयरपोर्ट लाउज और ऐसी अन्य जगहें जहाँ आम जनता आती जाती है। (खुली जगह को छोड़कर)

सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर जुर्माना :

सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 200 रुपये तक का जुर्माना देना होगा (मौके पर जुर्माना)।

नियमों के तहत सार्वजनिक स्थल के प्रबंधन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि :

- 1) अपने क्षेत्राधिकार वाली जगह को धूम्रपान मुक्त रखें।
- 2) 60×30 सेंटीमीटर का एक बोर्ड प्रमुखता से लगा हो जिस पर लिखा रहे, धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र।

यहाँ धूम्रपान करना अपराध है। यह बोर्ड प्रत्येक प्रवेशद्वार, प्रत्येक मंजिल, प्रत्येक सिफ्टिंगों, सभी लिफ्ट के प्रवेश द्वार और अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर लगा हो।

3) उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ हो जिससे शिकायत की जा सकती है।

धूम्रपान को संभव या सुगम बनाने वाली कोई भी चीज जैसे ऐशट्रे, लाइटर और माचिस की तीली या अन्य चीजें मुहैया नहीं कराई जाएं।

अधिकृत अधिकारी : कृपया अनुलग्नक 1 का संदर्भ लें।

धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थलों के लिए वैधानिक साइनेज



धारा – 5 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

(1) कोई व्यक्ति, जो सिंगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय या वितरण में लगा है या लगा होना तात्पर्यित है, इसका विज्ञापन नहीं करेगा और ऐसा व्यक्ति, जिसका किसी माध्यम पर नियंत्रण हो, उक्त माध्यम द्वारा सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग या उपभोग का सुझाव दिया गया हो या संप्रवर्तन किया गया हो।

(2) कोई व्यक्ति किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदे के लिए –

(क) सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन का संप्रदर्शन न करेगा, ना ही कराएगा या उसे संप्रदर्शन के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा या

(ख) किसी ऐसी फिल्म या विडियो टेप का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय नहीं कराएगा या विक्रय करने के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा जिसमें सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन हो, या

(ग) ऐसे किसी पर्णक, पर्चे या दस्तावेज का, जो सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन है या जिसमें ऐसा विज्ञापन है, जनता में वितरण नहीं करेगा, वितरण नहीं कराएगा या उसे वितरण के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा या

(घ) सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन का किसी भूमि, भवन, दीवार, होड़िंग, फ्रेम, पोस्ट या सरचना पर या उसके ऊपर या किसी पान में या उसके ऊपर न परिनिर्माण करेगा, न प्रदर्शन करेगा, उसे न लगाएगा और न लगाए रखेगा और नहीं उसका किसी भी स्थान में किसी भी रीति से प्रदर्शन करेगा।

परन्तु यह उपधारा –

(क) सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज में या उस पर सिगरेट या तंबाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन

(ख) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन, जो किसी ऐसे भांडागार या दुकान के प्रवेश स्थान पर या उसके भीतर प्रदर्शित किया गया है जहाँ सिंगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद वितरण या के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(3) कोई व्यक्ति किसी संविदा के अधीन या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए या दिए जाने के लिए करार में प्रायोजन, दाना पुरस्कार या छात्रवृत्ति के लिए विनियम में :-

(क) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के उपयोग या खपत का या

(ख) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी व्यापार चिन्ह या ब्रांड नाम का संवर्धन नहीं करेगा या उसके संवर्धन के लिए करार नहीं करेगा ।

(1) परोक्ष प्रचार को तंबाकू उत्पादों के नाम या ब्रांड का उपयोग अन्य सामान, सेवाओं और आयोजनों के विपणन, प्रचार या विज्ञापन के लिए किया जाना पारिभाषित है :

नियम जिनका पालन किया जाना है :

(2) किसी बिक्री की जगह पर विज्ञापन बोर्ड का आकार और उसकी सामग्री : बिक्री वेयर हाउस (भंडार, गोदाम) या दुकान जहाँ सिगरेट और ऐसा कोई अन्य उत्पाद वितरण अथवा बिक्री के लिए पेश किया जाता है, के प्रवेश द्वार पर उपयोग किए जाने वाले बोर्ड का आकार 90 सेटींमीटर बाई 60 सेटींमीटर से ज्यादा नहीं होगा ।

ऐसा प्रत्येक बोर्ड लागू होने वाली भारतीय भाषा में होंगा जिसपर निम्नलिखित चेतावनियों में से कोई एक लिखा होगा और यह बोर्ड के ऊपर की जगह का 25 प्रतिशत क्षेत्र घेरेगा – तंबाकू से कैसर होता है या तंबाकू जानलेवा है ।

उप-नियम (2) में उल्लिखित बोर्ड पर तंबाकू उत्पाद का नाम होगा तथा प्रचार के लिए कोई अन्य तस्वीर या संदेश नहीं होगा ।

3) तंबाकू उत्पादों या इसके उपयोग का प्रदर्शन करने वाली फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंध।

तंबाकू उत्पादों या इसका उपयोग दिखाने की जरूरत को वाजिब बताने के लिए मजबूत संपादकीय तर्क

- (ख) तंबाकू रोधी हेलथ स्पॉट और डिस्कलेमर 30 सेकेंड की अवधि का (शुरू में और बीच में)
- (ग) ऐसे डिसप्ले की अवधि में तंबाकू रोधी चेतावनी स्थिर संदेश के रूप में
- (घ) तंबाकू उत्पादों के ब्राण्ड के प्रदर्शन या किसी भी रूप में तंबाकू उत्पाद के प्लेसमेंट और प्रदर्शन या फ़िल्म तथा टेलीविजन प्रोग्राम के प्रोमो अथवा पोस्टर पर प्रतिबंध ।

तंबाकू उत्पादों के प्रचार के लिए जुर्माना :

- (क) पहला अपराध के लिए 1000/- रुपये या दो साल की कैद या दोनों ।
- (ख) इसके बाद के अपराध के लिए 5000/-रुपये या पाँच साल की कैद ।

अधिकृत अधिकारी : कृपया अनुलग्नक 3 का संदर्भ लें ।

45
सेमी

**यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध तंबाकू उत्पादों
की सूची**

**तंबाकू से
मौत होती है**

20 सेमी 15 सेमी

1. सिगरेट
2. बीड़ी
3. गुटखा
4. खैनी
5. पान मसाला
6. जर्दी

60 सेमी

उल्लंघन



धारा – 6 : 18 साल से कम आयु वालों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

किसी शिक्षा संस्थान से 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध।

शिक्षा संस्थान की परिभाषा: “शिक्षा संस्था का मतलब है ऐसी जगह/केन्द्र जहाँ खास मानदण्डों के तहत शैक्षिक निर्देश दिए जाते हैं और इनमें स्कूल, कॉलेज या उच्च शिक्षा वाले संस्थान शामिल हैं जिनकी मान्यता उच्च अधिकारियों/संस्थानों द्वारा दी गई हो।

*** नाबालिक को बिक्री या उनके द्वारा बिक्री पर जुर्माना :**

अगर कोई व्यक्ति इस धारा के प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे 200/- रुपये तक का जुर्माना किया जायेगा।

*** नियम जिनका पालन किया जाना चाहिए प्रवर्तन अधिकारी की भूमिका :**

क) विक्रेता को एक बोर्ड (60 सेमी बाई 30 सेमी) प्रदर्शित करना चाहिए जिसके 50 प्रतिशत में लिखित और 50 प्रतिशत में तस्वीर वाली चेतावनी हो कि नाबालिक को तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और सजा योग्य अपराध है।

ख) किसी भी विक्रेता को किसी शिक्षा संस्था के 100 गज के घेरे में (चारदिवारी या बाहरी सीमा या बाहरी दीवार से) तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

ग) संस्था के प्रमुख को एक बोर्ड लगाना होगा जिसपर यह लिखा हो कि संस्थान से 100 गज की दूरी तक तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है।

घ) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत अधिकारियों को नियमित रूप से फॉलो अप विजिट करना चाहिए।

अधिकृत अधिकारी : कृपया अनुलग्नक 2 देखें।

वैधानिक साइनेज



60 सेमी

“ धूम्रपान निषिद्ध है ” का संकेत



नाबालिंग तंबाकू बेच रहा है



नाबालिंग तंबाकू खरीद रहा है

शिक्षा संस्थाओं के बाहर साइनेज के नमूने



धारा – 7 : सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य संबधी तस्वीर वाली चेतावनी

- * कानूनन यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर खास तस्वीर वाली स्वास्थ्य चेतावनी हो।
- * तस्वीर वाली खास स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य बनाया जाना भारत में तंबाकू के उपयोग को कम करने में सफल साबित हुआ है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत में पैकेट पर तस्वीर वाली स्वास्थ्य चेतावनी के कारण तंबाकू छोड़ने के विचार की स्थिति बड़ी है।

हमारे देश में तस्वीर वाली स्वास्थ्य चेतावनी की स्थिति

* धारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे सिगरेट या तंबाकू के उत्पाद नहीं बनाएगा, ना उसकी आपूर्ति करेगा और ना ही इसका व्यापार या वाणिज्य चलाएगा या आयात करेगा अथवा उसकी आपूर्ति या वितरण करेगा जिसके प्रत्येक पैकेट पर या उसके लेबल पर ऐसी विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं होगी। इसमें नियमानुसार विनिर्दिष्ट तस्वीर वाली चेतावनी भी शामिल है।

* सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 की घोषणा की जा चुकी है और इसमें विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का डिस्प्ले तथा रोटेशन के रूप, आकार, तरीका आदि को भी स्पष्ट किया गया है।

* 27 सितंबर 2012, तस्वीर वाली स्वास्थ्य चेतावनी के तीन इमेज विनिर्दिष्ट किए गये हैं जिन्हे तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर प्रदर्शित किया जाना है (धुआंरहित और धुआं वाले तंबाकू के दोनों रूपों में प्रत्येक के लिए तीन इमेज निश्चित हैं।)

* चेतावनी में एक हैल्थ वॉर्निंग या स्वास्थ्य चेतावनी जैसे स्मोकिंग किल्स और टोबैको किल्स शामिल है।

धारा – 7 के उल्लंघन के लिए जुर्माना तंबाकू उत्पादों के विनिर्माता पर जुर्माना :

- (क) पहली बार पकड़े जाने पर : 2 साल कैद या 5000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों।
- (ख) दुसरी बार में पकड़े जाने पर : 5 साल तक कैद और 10000 रुपये तक का जुर्माना।

वितरकों (बिक्री या खुदरा बिक्री) पर जुर्माना :

- (क) पहली बार पकड़े जाने पर : 1 साल तक की कैद या 1000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों।
- (ख) बाद में पकड़े जाने पर : 2 साल तक कैद और 3000 रुपये तक का जुर्माना।

नियम जिनका पालन किया जाना है / प्रवर्तन अधिकारी की भूमिका

- * तस्वीर वाली खास स्वास्थ्य चेतावनी के बिना कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाना चाहिए। इसके अनुपालन में नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- * बाद के उल्लंघनों को और गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
- * तस्वीर वाली स्वास्थ्य चेतावनी का आकार और रंगों का विनिर्देशन देखा जाना चाहिए। जो सामग्री कानून के उल्लंघन में सहायक हो उसे जब्त कर लिया जाना चाहिए। कानून लागू करानें वालों को इसके लिए तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए।

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कारवाई के समर्थन में हमेशा
एक गवाह होना चाहिए।

अधिकृत अधिकारी : कृपया अनुलग्न 3 का संदर्भ लें



सिगरेट और बीड़ी के पैक के लिए



तंबाकू का पैकेट

अनुलग्नक 1

**अधिकृत अधिकारी : निम्नलिखित व्यक्ति धारा 4 के उल्लंघन के मामलों में
जुर्माना लगाने और उसे एकत्र करने के लिए अधिकृत होंगे।**

क्रम सं	कार्यवाही करने के लिए अधिकृत व्यक्ति	विवरण
1.	केन्द्रीय उत्पाद कर / आयकर / सीमाशुल्क / बिक्री कर / स्वास्थ्य / परिवहन इंस्पेक्टर और ऊपर के अधिकारी	अपने क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक स्थल
2.	स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर / स्टेशन प्रमुख / स्टेशन इन्चार्ज	रेलवे और इसके सभी परिसर
3.	राज्य / केन्द्र सरकार के सभी राजपत्रित या समतुल्य रैंक के अधिकारी या स्वायत्त संगठन / पीएसटी में ऊपर के अधिकारी	सरकारी कार्यालय/ परिसर और स्वायत्त संस्थाओं तथा कारपोरेशन के कार्यालय
4.	निदेशक / चिकित्सा अधीक्षक / अस्पताल प्रशासक	सरकारी और निजी चिकित्सा क्षेत्र
5.	पोस्टमास्टर तथा उनसे ऊपर	उनके क्षेत्राधिकार में सम्बंधित डाकघर
6.	संस्थान के प्रमुख मानव संसाधन प्रबंधक / प्रशासन प्रमुख	निजि कार्यालय
7.	कालेज, स्कूल, हेडमास्टर/प्राचार्य/शिक्षक/सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खण्ड/ ज़िला/ राज्य स्तरीय समन्वयक के समकक्ष तथा उनसे ऊपर के अधिकारी।	सम्बंधित शिक्षा संस्था/ अपने परिक्षेत्र
8.	पुस्तकालयध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/पुस्तकालय प्रभारी /पुस्तकालय में अन्य प्रशासनिक कर्मचारी	पुस्तकालय /अध्ययन कक्ष
9.	हवाई अडडा प्रबंधक/भारतीय विमान पतन प्रधिकरण के अधिकारी/सभी अनुसूचित विमान सेवाओं के अधिकारी	हवाई अडडा
10.	निदेशक जन स्वास्थ्य/निदेशक स्वास्थ्य सेवायें।	सभी सार्वजनिक स्थल

11.	केन्द्र/राज्य सरकार में प्रशासन इन्वार्ज	सभी सार्वजनिक स्थल
12.	नोडल अधिकारी/राज्य/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ में कार्यरत कंसलटेंट /काउंसेलर / समाजिक कार्यकर्ता	सभी सार्वजनिक स्थल
13.	पुलिस अधिकारी / पुलिस कांस्टेबल के समकक्ष पुलिस के रैंक ।	उनके क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक क्षेत्र
14.	राज्य खाद्य व औषधि प्रशासन के अधिकारी जो सब इन्स्पेक्टर पुलिस रैंक से नीचे से न हों।	उनके क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक क्षेत्र
15.	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (सरपंच/पंचायत सचिव)	उनके क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक क्षेत्र
16.	जिला कार्यलय प्रबंधक/वित प्रबंधक - जिला स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य)	उनके क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक क्षेत्र
17.	सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) में चिकित्सा अधिकारी	स्वास्थ्य संस्थान डिस्पेंसरी
18.	रजिस्ट्रार/डिप्टी रजिस्ट्रार/लोक अभियोजक/सरकारी वकील	कोर्ट बिल्डिंग
19.	स्कूल निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा संस्थान
20.	यातायात अधीक्षक/सहायक यातायात अधीक्षक/बस अड्डा अधिकारी/टिकट संग्राहक या कंडक्टर	सार्वजनिक परिवहन
21.	टीटीई/मुख्य टिकट निरीक्षक/टिकट संग्राहक/ अधिकारी जो टिकट संग्राहक के रैंक से कम के न हों या समतुल्य पर रेल सुरक्षा बल के सहायक सब इन्स्पेक्टर के रैंक से कम के न हों।	रेलवे
22.	नगर पालिका के पर्यवेक्षक के समकक्ष तथा उनसे ऊपर के अधिकारी।	अपना परिक्षेत्र

अनुलग्नक 2

अधिकृत अधिकारी : निम्नलिखित व्यक्ति धारा 6 के उल्लंघन के मामलों में जुर्माना लगाने और उसे एकत्र करने के लिए अधिकृत होंगे।

क्रम सं	कार्यवाही करने के लिए अधिकृत व्यक्ति
1.	किसी शिक्षा संस्थान के कुलपति या निदेशक या प्रोफेटर या प्राचार्य या प्रधानाध्यापक या इन्चार्ज
2.	श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त
3.	खाद्य एवं औषधि विभाग के सभी अधिकारी जो राज्य खाद्य व औषधि प्रशासन के सब इंस्पेक्टर रैंक के हों।
4.	शिक्षा विभाग में सभी इंस्पेक्टर रैंक के सभी अधिकारी/सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खण्ड/जिला/ राज्य स्तरीय समन्व्यक के समकक्ष तथा उनसे ऊपर के अधिकारी।
5.	पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक और इससे ऊपर के सभी पुलिस अधिकारी
6.	म्यूनिसिपल स्वास्थ्य अधिकारी/नगर निगम/ नगर पालिका के पर्यावरक के समकक्ष तथा उनसे ऊपर के अधिकारी।
7.	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (वैद्यरमेन या सरपंच या पंचायत सचिव)
8.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक या वित्त प्रबंधक - जिला स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य)
9.	सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में (पीएससी) चिकित्सा अधिकारी
10.	ब्लाक डेवलेपमेंट आफिसर ब्लाक एक्स्टेंशन एजुकेटर बीईडी
11.	राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में निदेशक या संयुक्त निदेशक
12.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य और जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / नोडल अधिकारी/कार्यरत कंसलटेंट/काउंसलर/ सामाजिक कार्यकर्ता

अनुलग्नक 3

अधिकृत अधिकारी : निम्नलिखित व्यक्ति धारा 5 और 7 के उल्लंघन के मामलों में जुर्माना लगाने और उसे एकत्र करने के लिए अधिकृत होंगे।

पदनाम	विभाग
सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सभी अधिकारी जो अधीक्षक के स्तर से ऊपर के हों	राजस्व विभाग के तहत पंजीकृत सभी परिसर
बिक्री कर/स्वास्थ्य/परिवहन विभाग के इन्स्पेक्टर और ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी	राज्य के राजस्व/स्वास्थ्य परिवहन विभाग
कनिष्ठ श्रम आयुक्त	श्रम विभाग
संयुक्त निदेशक	कार्यालय उद्योग आयुक्त /लघु उद्योग
पुलिस/ राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सब इन्स्पेक्टर तथा ऊपर के अधिकारी या कोई अन्य सब इन्स्पेक्टर पुलिस के समकक्ष का अधिकारी	खाद्य एवं औषधि विभाग तथा गृह विभाग

अर्थदण्ड रसीद / फाईन रसीद

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

रसीद क्रमांक	अर्थदण्ड रसीद	तिथि..... जिला
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 4 / 6 का उल्लंघन तिथि..... स्थान.....		
पर करते हुए पाये जाने के उपरान्त श्री.....		
पिता का नाम..... पता.....		
..... के द्वारा ₹		
शब्दों में अर्थदण्ड स्वरूप प्राप्त किया ।		
उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
“जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं”		

**अर्थदण्ड से प्राप्त राशि को जमा करने के लिए
राजस्व प्राप्त लेखा शीर्षक, पृष्ठ संख्या 27 में देवें।**

Criteria to Measure Progress of Smoke-free Implementation in India

Sr. No.	Criteria	Declaring Smoke Free City/ Districts
1-	<p>Signages at all public places and workplaces</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presence of signage ▪ Placement (at all points which offers high visibility, prominent places) ▪ Specifications (as recommended under COTPA) <p>Displaying name of the officer, to whom violation can be reported</p>	More than 90 per cent conformity
2-	<p>Absence of aids for smoking (no ash trays, no matchboxes, no clear areas demarcated for smoking)</p>	Not present at all in more than 90% of places
3-	<p>No direct observation of smoking at peak activity times</p>	No smoking observed in more than 90% of places
4-	<p>No evidence of past smoking – as evident from absence of cigarette butts and bidi ends</p>	No butts / bidi ends in more than 90% of public places
5-	<p>No evidence of recent smoking – as evident from smoking ash and smell</p>	No smoking ash and smell in more than 90% of public places
6-	<p>Enforcement mechanisms</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mechanism instituted ▪ Clear reporting mechanisms ▪ Clear mechanism of redressal for fines, punitive actions and violations <p>Media and civil society support</p>	Jurisdictions scores high (more than 90 percent) on each count

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या: /XXVIII-3-2015-213/2001
देहरादून: दिनांक: ३१, मार्च, 2015

अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 की धारा 25 एवं 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन को रोकने के लिए अर्थदण्ड लगाने तथा एकत्र करने के लिए शासन की अधिसूचना संख्या 58/XXVIII-3-2013-213/2001 दिनांक 06 मार्च 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व में नियुक्त प्राधिकारियों के अतिरिक्त निम्नांकित अधिकारियों/कार्मिकों को भी प्राधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. पुलिस कांस्टेबल के समकक्ष रैक तथा उनसे ऊपर के अधिकारी
2. नगर निगम/नगर पालिका के पर्यवेक्षक के समकक्ष तथा उनसे ऊपर के अधिकारी
3. राज्य/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ में कार्यरत कंसलटेंट/काउंसलर/सामाजिक कार्यकर्ता
4. सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खण्ड/जिला/ राज्य स्तरीय समन्वयक के समकक्ष तथा उनसे ऊपर के अधिकारी।

अधिसूचना संख्या 58/XXVIII-3-2013-213/2001 दिनांक 06 मार्च 2013 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

/
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 181(i) XXVIII-3-2015-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बी0आर0टम्स्टा)
अपर सचिव।

संख्या: 101(ii) XXVIII-3-2015-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि उपरोक्तानुसार निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
9. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
11. एनोआईसी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी०आर०टम्या)

अपर सचिव।

329
A.D.C.M.E
31/3/15

J.D.M.C
R
31/3/15

Mr. Adity
am
31/3/15

अनुलग्नक 5: धारा 4 और धारा 6 के तहत
प्राधिकृत अधिकारियों से सम्बन्धित अधिसूचना

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा अनुभाग - 3

संख्या: /XXVIII-3-2013-213/2001

देहरादून, दिनांक ८६ जनवरी, 2013

अधिसूचना / प्रकीर्ण

राज्यपाल, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 34, वर्ष 2003) की धारा 25 एवं 28 एः इस सम्बन्ध में समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित अधिकारियों को उनके अधिकारिता के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिसने लोक स्थानों पर अधिनियम की धारा 4 अथवा धारा 6 के अधीन कोई अपराध कारित किया है, के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करते हैं। ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसी रकम के लिए जो दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगी, शमन किया जा सकता।

कम संख्या कार्यवाही करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
2. राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी
3. नोडल अधिकारी/जिला एवं राज्य स्तर पर तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ के फोकल प्याईंट
4. निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक /अस्पताल प्रशासक
5. केन्द्रीय उत्पादकर/आयकर/सीमा शुल्क/बिक्रीकर /स्वास्थ्य/परिवहन के निरीक्षक एवं उनसे : गर के अधिकारी
6. खाद्य रुक्षा अधिकारी/अभिहित अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग
7. कॉलेज/स्कूल के हेड मास्टर/प्राचार्य/शिक्षक
8. केन्द्र/राज्य सरकार के समस्त राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वायत्त संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम के समकक्ष रैंक और उनसे ऊपर के अधिकारी
9. लाइब्रेरियन/सहायक लाइब्रेरियन/लाइब्रेरी प्रभारी/लाईब्रेरी के अन्य प्रशासनिक स्टाफ
10. स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन हेड/स्टेशन प्रभारी
11. पोस्टमार्टर तथा ऊपर के अधिकारी
12. संस्था का प्रमुख/एच आर प्रबंधक/प्रशासन प्रमुख
13. हवाई पत्तन प्रबंधक/भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी तथा सभी अनुसूचित एयरलाईंस के अधिकारी
14. पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के पुलिस अधिकारी
15. पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के राज्य औषिधि निरीक्षक/ वरिष्ठ औषिधि निरीक्षक/ औषिधि नियंत्रक
16. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (सःपंच/पंचायत सचिव)
17. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक—जिला स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)

18. जिला चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी
19. रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार/लोक अभियोजक/सरकारी वकील/न्यायलय परिसर का प्रभारी
20. विद्यालय निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी
21. यातायात अधीक्षक/सहायक यातायात अधीक्षक/बस विराम स्थल अधिकारी/टिकिट संग्राहक या संचालक

(एस० रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या: /XXVIII-3-2012-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को असाधारण गैजट में प्रकाशित करने का कष्ट करे एवं अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव

संख्या: ५८ /XXVIII-3-2012-213/2001. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित—

1. सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
8. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य तमाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अतर सिंह)
उप सचिव

प्रेषक,

केशव देसिराजु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 07.07.2008

विषय: "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिपेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 (2003 का 34)" के प्रभावी कियान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तर पर टॉस्क फोर्स के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-19प/8/168/2008/29754, दिनांक 18 रितम्बर, 2008 के संदर्भ में। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिपेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) का प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी/टॉस्क फोर्स निम्नवत गठित की जाती है:-

~~(32A)~~ ~~(H)~~ ~~(N)~~ ~~(P)~~ राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी/टॉस्क फोर्स:-

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	पुलिस महानिदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड	सदस्य
4.	अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	सदस्य
5.	महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
6.	निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड	सदस्य
7.	महाप्रबन्धक, परिवहन नियम उत्तराखण्ड	सदस्य
8.	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड	सदस्य

अनुलग्नक 8: जारी....


9.	संयुक्त निदेशक, (एन०सी०डी०) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	सदस्य
10.	स्टेशन प्रबन्धक, दून रेलवे स्टेशन	सदस्य
11.	निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र उत्तराखण्ड	सदस्य
12.	निदेशक, पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड	सदस्य
13.	प्रधानाचार्य, राजकीय होटेल मैनेजमेन्ट संस्थान पटेलनगर	सदस्य
14.	महासचिव, आई०एम०ए०	सदस्य
15.	महासचिव, अधिवक्ता संघ	सदस्य
16.	विधानाध्यक्ष, कैसर विभाग एच०आई०एच०टी० मेडिकल कालेज	सदस्य
17.	निदेशक एकेडमी ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, डिफेंस कालोनी देहरादून	सदस्य
18.	सचिव वरदान, एम०डी०डी०ए० कालोनी केदारपुरम देहरादून	सदस्य
19.	अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
20.	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दून चिकित्सालय देहरादून	राज्य नोडल अधिकारी

जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी/टौस्क फोर्म:-

1.	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
5.	प्रधानाचार्य, स्नातक/परास्नातक कालेज	सदस्य
6.	जिलाध्यक्ष, आई०एम०ए०	सदस्य
7.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका	सदस्य
8.	जिला अधिकारी द्वारा नामित एन०जी०ओ० के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय	जिला नोडल अधिकारी

उपरोक्तानुसार गठित राज्य/जिला स्तरीय टास्क फोर्म की बैठके त्रैमासिक आयोजित की जाएगी।

भवदीय,



(केशव देसिराज), ।।।
प्रमुख सचिव।

नंदीप्रतीक
प्रेसक.

अनुलग्नक 11: धारा 6 के क्रियान्वयन
से सम्बंधित शासकीय आदेश

संख्या ५३७/XXVIII-3-2010-213/2001

डॉ उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संक्षेप में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
उच्च शिक्षा/विद्यालयी शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/
समाज कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

चिकित्सा अनुभाग-३

देहरादून: दिनांक ०७ जूलाई, 2010

विषय: शैक्षिक संस्थाओं के आसपास सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबन्ध
लगाने जाने के सम्बन्ध में।

महारूप,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग-३ के पत्र संख्या-332/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 05.04.2010 एवं संख्या-453/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 13.05.2010 के बीच में
सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के अठशा०० पत्र दिनांक
08.05.2010 की प्रति इसके संलग्नकों सहित संलग्न करते हुये मुझे यह अनुरोध करने का निरेश हुआ
है कि शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के शायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और तम्बाकू
उत्पादों की बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने एवं इस क्षेत्र को तम्बाकू से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध
में भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निरेशों एवं भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार
प्रभावी कार्यवाही मुनिशित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए, कृत कार्यवाही से
अभियोग्यताकारी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2. कृपया इसे शीर्ष प्राधिकारी प्रदान करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
(डॉ उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पुस्तक-५३७/XXVIII-3-2010-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि उक्त संदर्भित पत्रों की प्रति संलग्न करते हुये निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय के
साथ प्रेषित कि वे शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के परिसरों को तम्बाकू मुक्त किये जाने के सम्बन्ध
में विभाग को अनेकांत सहयोग प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वारिच पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
4. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को
उनके उक्त संदर्भित पत्र के बीच में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

आशा से,
(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

प्रेषक

अनुलग्नक 7: अर्थदण्ड जमा करने हेतु राजस्व लेखा शीर्षक

महानिदेशक

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य।

पत्रांक: 19प/8/168/2008/

32343

दिनांक: 20 /09/2012


विषय— सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अर्थदण्ड से प्राप्त राशि को जमा करने के लिए राजस्व प्राप्त लेखा शीर्षक खोले जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत वसूले गए अर्थदण्ड (माननीय न्यायलय अथवा किसी भी विभाग के द्वारा) को निम्न राजस्व प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा की जानी है:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| मुख्य शीर्षक | - 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य |
| उप मुख्य शीर्षक | - 04 लोक स्वास्थ्य |
| लघु शीर्षक | - 103 एस और अर्थदण्ड आदि |
| उप शीर्षक | - 03 धूपान प्रतिषेध के अधीन अर्थदण्ड |

अतः समस्त विभागों को उक्त के बंध में सूचित करते हुए काटे गए चालान तथा अर्थदण्ड से प्राप्त राशि की सूचना संलग्न प्रपत्र पर प्रति नाम डाक तथा ई-मेल ntcp.utfi@gmail.com के माध्यम से राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, महानिदेशक शालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, सहस्रनाथ रोड, देहरादून, को उपलब्ध कराने का शक्त करें।


(सी. पी. आर्य)
महानिदेशक


पत्रांक: 19प/8/168/2008/

32345

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य।
- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषारी, उत्तराखण्ड।


(सी. पी. आर्य)
महानिदेशक

8/2

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या: /XXVIII-3-2014-213/2001
देहरादून: दिनांक: २९ नवम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (2) (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-34 वर्ष 2003) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य में विर्तिदृष्ट चेतावनी के बिना सिगरेट की खुली बिक्री को प्रतिबन्धित करते हैं।

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या: /XXVIII-3-2014-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त ज्ञाप को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

संख्या: १४५८(ए) /XXVIII-3-2014-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि उपरोक्तानुसार निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
9. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
11. एनोआईओसीओ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

प्रेषक,

ओम प्रकाश

अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

- ✓ 2. मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2017

विषय— राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तरीय समन्वयन समिति के पुर्नगठन किए जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—UKHFW/S/NHM/NTCP/2016/COTPA,2003/884. दिनांक 17.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तरीय समन्वयन समिति का पुर्नगठन किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की "Operational Guidelines-2015" में वर्णित निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या—1116/XXVIII-3-2008-213/2001 दिनांक 01.12.2008 में संशोधन करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का नियम) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) का प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य/जिला/ब्लाक स्तरीय समन्वयन समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है :—

3. राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (SLCC)

क्र. सं.	विभाग/अभिकरण	समिति में पदाधिकारी	उत्तरदायित्व
1.	प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष	राज्य में एन०टी०सी०पी० के सफल अनुश्रवण हेतु बैठक की अध्यक्षता करना।
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य सचिव	<ul style="list-style-type: none"> बैठक के आयोजन हेतु नोडल सचिव को निर्देशित करना। राज्य में एन०टी०सी०पी० कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु नियमित नियंत्रण, समीक्षा तथा पर्यवेक्षण करेंगे।
3.	मिशन निदेशक (एन०एच०एम०)	सदस्य—सचिव	बैठक के आयोजन के लिए नोडल सचिव, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु नियमित नियंत्रण, समीक्षा तथा पर्यवेक्षण करेंगे।
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त एवं उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> सभी तम्बाकू उत्पादों पर लगने वाले करों के सम्बन्ध में सामन्जस्य स्थापित करते हुये व्यवस्था को सुनिश्चित करना। तम्बाकू उद्योग द्वारा किये जा रहे अवैध व्यापार तथा कर चोरी पर रोक को सुनिश्चित करना।



5.	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग/आयुक्त नामांकित व्यक्ति	एवं	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> ● COTPA, 2003 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कारखानों में निर्मित तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के मुद्रण को सुनिश्चित करना। ● बीड़ी रोलर्स को बीड़ी रोलिंग के दुष्प्रभावों के प्रति संवेदीकरण करना। ● बीड़ी रोलर्स को वैकल्पिक आजीविका हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
6.	कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट		सदस्य	जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व करना तथा जनपद स्तर पर एन०टी०सी०पी० कार्यक्रम के कियान्वयन में आ रही बाधाओं पर प्रकाश डालना।
7.	सचिव, कानून (विधि)		सदस्य	COTPA, 2003 के सफल कियान्वयन हेतु कानूनी मुद्राओं पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति को सलाह प्रदान करना।
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग		सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> ● COTPA, 2003 के सफल कियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति COTPA, 2003 के तहत प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य पुलिस को निर्देशित करना। ● मासिक अपराध समीक्षा बैठक में COTPA, 2003 के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा और COTPA सम्बन्धी ऑकड़ों का नियमित संग्रहण।
9.	रेलेशन प्रबंधक, रेल विभाग		सदस्य	रेलवे में प्रशासनिक नियंत्रण के तहत क्षेत्रों में COTPA, 2003 अधिनियम को लागू करने हेतु धूम्रपान पर प्रतिबन्ध एवं तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध।
10.	महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग		सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> ● सभी विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु दिशा— निर्देशिका का कियान्वयन। ● सभी विद्यालय परिसरों को तम्बाकू मुक्त घोषित करना। ● NTCP के अन्तर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं निरीक्षण।
11.	महाप्रबंधक, परिवहन विभाग		सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> ● COTPA, 2003 अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक परिवहनों एवं बस अड्डों को धूम्रपान मुक्त बनाना/तम्बाकू मुक्त बनाना। ● राजकीय वाहनों में तम्बाकू उत्पाद जैसे: गुटखा, पान—मसाला आदि का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रचार—प्रसार एवं इनको प्रतिबन्धित करना। ● परिवहन विभाग की सम्पत्ति जैसे: बस पैनल, बस अड्डे, बस टिकट आदि पर तम्बाकू विरोधी संदेश अंकित करना।
12.	निदेशक, पंचायती राज		सदस्य	त्रि—स्तरीय निर्वाचित पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से COTPA, 2003 का ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वयन सुनिश्चित कराना।
13.	महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	एवं	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> ● तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु राज्य स्तर पर अभियान चलाना तथा COTPA, 2003 के प्राविधानों को आमजन तक पहुँचाना। ● क्षेत्रीय कार्यक्रमों, मैलों तथा राज्य आई०ई०सी० अभियानों हेतु जागरूकता अभियान सामग्री विकसित करना। ● क्षेत्रीय कार्यक्रमों, मैलों तथा राज्य आई०ई०सी० अभियानों हेतु जागरूकता अभियान सामग्री को विकसित करने में सहयोग प्रदान करना।

14.	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य	एन०टी०सी०पी० के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों एवं COTPA, 2003 के सफल कियान्वयन हेतु सहयोग प्रदान करना।
15.	राज्य स्तर पर प्रमुख द्वारा नामित एन०जी०ओ० के प्रतिनिधि	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> अपने अधिकार क्षेत्र में तम्बाकू नियंत्रण को सुनिश्चित करना। COTPA, 2003 के सफल कियान्वयन हेतु राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करना। तम्बाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन का अनुश्रवण करना तथा उन्हें समन्वयन समिति/प्राधिकारी के संज्ञान में लाना। तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता तथा COTPA, 2003 के प्रभावी कियान्वयन हेतु समुदाय तथा CBOs, पंचायती राज संस्थान तथा शहरी स्थानीय निकाय के साथ कार्य करना।
16.	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> राज्य में COTPA, 2003 के प्रावधानों को लागू करवाना तथा मासिक अपराध समीक्षा बैठक में नियमित समीक्षा करना। COTPA, 2003 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के उल्लंघन के आंकड़े एकत्रित करना।

4. जिला स्तरीय समन्वयन समिति (DLCC)

प्रत्येक जिले में गठित “जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति” के अधीन जिला स्तरीय समन्वयन समिति का गठन किया जायेगा। DLCC के प्रमुख डी०एम०/कलेक्टर होंगे। जनपद में राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु उत्तरदायी मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को जिला नोडल अधिकारी एन०टी०सी०पी० बनाया जा सकेगा।

5. प्रत्येक जनपद में DLCC का गठन निम्नवत किया जायेगा :-

क्र. सं.	विभाग / अभिकरण	समिति में पदाधिकारी	उत्तरदायित्व
1	डी०एम०/ कलेक्टर	अध्यक्ष	जिले में एन०टी०सी०पी० के सफल अनुश्रवण हेतु बैठक की अध्यक्षता करना।
2	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव	जनपद में बैठक के आयोजन के लिए नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु नियमित नियत्रण, समीक्षा तथा पर्यवेक्षण करेंगे।
3	बिक्री कर अधिकारी	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> COTPA, 2003 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कारखानों में निर्मित तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी को सुनिश्चित करना। तम्बाकू उद्योग द्वारा किया जा रहा अवैध व्यापार तथा कर चोरी पर रोक को सुनिश्चित करना। तम्बाकू उद्योग द्वारा कर चोरी पर नजर रखना।
4	रोटेशन के आधार पर दो खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य	एन०टी०सी०पी० के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर होने वाली गतिविधियों को उजागर करना तथा ब्लॉक प्रशासन का प्रतिनिधित्व करना।
5	जिला श्रम अधिकारी	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> COTPA, 2003 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कारखानों में निर्मित तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के मुद्रण को सुनिश्चित करना। बीड़ी रोलर्स को बीड़ी रोलिंग के दुष्प्रभावों के प्रति संवेदीकरण करना। बीड़ी रोलर्स को वैकल्पिक आजीविका हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
6	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / अधीक्षक	पुलिस	<ul style="list-style-type: none"> छापामार दल का गठन करना। COTPA, 2003 के प्रावधानों को लागू करवाना तथा मासिक अपराध समीक्षा बैठक में नियमित समीक्षा करना।

			<ul style="list-style-type: none"> COTPA, 2003 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के उल्लंघन के आंकड़े एकत्रित करना।
7	जिलाधिकारी द्वारा समिति एनोजीओ के प्रतिनिधि	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> अपने अधिकार क्षेत्र में तम्बाकू नियंत्रण को सुनिश्चित करना। COTPA, 2003 के सफल कियान्वयन हेतु राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करना। तम्बाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन का अनुश्रवण करना तथा उन्हें समन्वयन समिति/प्राधिकारी के संज्ञान में लाना। तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता तथा COTPA, 2003 के प्रभावी कियान्वयन हेतु समुदाय तथा CBOs, पंचायती राज संस्थान तथा शहरी स्थानीय निकाय के साथ कार्य करना।
8	जिला अधिकारी	सूचना	<ul style="list-style-type: none"> तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु जनपद स्तर पर अभियान चलाना तथा COTPA, 2003 के प्राविधानों को आमजन तक पहुँचाना। क्षेत्रीय कार्यक्रमों, मैलों तथा जिला आईडीसीओ अभियानों हेतु जागरूकता अभियान सामग्री विकसित करना। क्षेत्रीय कार्यक्रमों, मैलों तथा जिला आईडीसीओ अभियानों हेतु जागरूकता अभियान सामग्री को विकसित करने में सहयोग प्रदान करना।
9	जिला मुख्यालय के नगर निकाय का स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य	नगर निकाय की समितियों के माध्यम से COTPA, 2003 के प्राविधानों को लागू करना।
10	मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> सभी विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु दिशा—निर्देशिका का कियान्वयन करना। सभी विद्यालय परिसरों को तम्बाकू मुक्त घोषित करना। NTCP के अन्तर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं निरीक्षण करना।
11	खाद्य सुरक्षा अधिकारी (F.S.O)	सदस्य	खाद्य सुरक्षा और मनक (विक्रय प्रतिषेध और निरवधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 को लागू करवाना।

जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समन्वयन समिति तथा जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी (अध्यक्ष 'जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति') के पर्यवेक्षण में तथा STCC के दिशानिर्देशों के तहत कार्य करेंगे।


6. विकास खण्ड स्तरीय समन्वयन समिति (BLCC) :-

BLCC में निम्नवत पदाधिकारी होंगे :-

क्र. सं.	विभाग / अभिकरण	समिति में पदाधिकारी	उत्तरदायित्व
1	ब्लॉक प्रमुख	अध्यक्ष	ब्लॉक में एनोटीसीओपीओ के सफल अनुश्रवण हेतु बैठक की अध्यक्षता करना।
2	विकास खण्ड स्थित PHC/ CHC के प्रभावी चिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव	ब्लॉक में बैठक के आयोजन के लिए नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु नियमित नियंत्रण, समीक्षा तथा पर्यवेक्षण करेंगे। BLCC की साल में दो बैठक आहुत करना।
3	खण्ड विकास अधिकारी	सह-सदस्य सचिव	खण्ड विकास समिति की बैठकों में NTCP कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा सुनिश्चित करना।

4	सदस्य क्षेत्र पंचायत	सदस्य	अपने लॉक में रिथाति समस्त विद्यालयों तथा कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त
5	विकास खण्ड स्थित समस्त ग्राम प्रधान एंव अधिकारी	सदस्य	बनाने हेतु प्रयत्न करना।
6	विकास खण्ड के सांसद एंवं विधान सभा सदस्य	सदस्य	निर्वाचित प्रतिनिधियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति संवेदीकरण करना।
7	लॉक प्रमुख द्वारा नामित एन०जी० ओ० के प्रतिनिधि	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> • अपने अधिकार क्षेत्र में तम्बाकू नियंत्रण को सुनिश्चित करना। • COTPA, 2003 के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद को पूर्ण सहयोग प्रदान करना। • तम्बाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन का अनुश्रवण करना तथा उनको समन्वयन समिति/प्राधिकारी के संज्ञान में लाना। • तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता तथा COTPA, 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समुदाय तथा CBOs, पंचायती राज संरक्षण तथा शहरी रथानीय निकाय के साथ कार्य करना।
8	खाद्य सुरक्षा अधिकारी (खाद्य सुरक्षा)	सदस्य	खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निरबंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 को लागू करवाना।

उपरोक्तानुसार गठित राज्य/जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठकें त्रैमासिक आयोजित की जायेगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

अर्थदंड जमा करने हेतु लेखा शीर्षक से सम्बंधित पत्र

प्रेषक

महानिदेशक

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी

उत्तराखण्ड राज्य;

पत्रांक: 19प/8/168/2006/

32343

दिनांक: 20 / 09 / 2012

विषय— सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (वेजापन का प्रतिबंध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अर्थदण्ड से ग्राप्त राशि को जमा करने के लिए राजस्व प्राप्त लेखा शीर्षक खोले जाने विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अयमत करता है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (वेजापन का प्रतिबंध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत वसुले गए अर्थदण्ड (माननीय न्यायलय अथवा किसी विभाग के द्वारा) को निम्न राजस्व प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा की जानी है:

मुख्य शीर्षक	- 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
उप मुख्य शीर्षक	- 04 लौ 5 स्वास्थ्य
लघु शीर्षक	- 103 प्राप्त और अर्थदण्ड आदि
उप शीर्षक	- 03 धूपान प्रतिबंध के अधीन अर्थदण्ड

अतः समस्त विभागों को उक्त के बांध में सूचित करते हुए काटे गए भालान तथा अर्थदण्ड से ग्राप्त राशि की सूचना संलग्न प्रपत्र पर प्रति नं. डाक तथा ई-मेल ntcp.utfsi@gmail.com के माध्यम से राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, महानी शालग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, सहस्रनामा रोड, देहरादून, को उपलब्ध करने वाला छाप्त करें।

(सी. पी. आरो)

महानिदेशक

तद दिनांक

पत्रांक: 19प/9/168/2006/

32344

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अपार्टमेंट लायनगार्ड हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजदा देहरादून।
- मिशन निटेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण रू स्थ मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य।
- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोड़: कार्यालय उत्तराखण्ड।

(सी. पी. आरो)

महानिदेशक

१
१२

तालिका

धारा	जुर्माना	अधिकृत व्यक्ति/प्रक्रिया
धारा 4 सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान का निषेध	200/- रूपये (धारा 21)	संदर्भ के लिए अनुलग्नक 1 अथवा पृष्ठ संख्या 25 और 23
धारा 5 तंबाकू उत्पादों के प्रचार पर प्रतिबंध	पहला अपराध 1000/- रूपये या 2 साल कैद बाद के अपराध 5000/- रूपये और 5 साल कैद (धारा 22)	संदर्भ के लिए अनुलग्नक 3 पृष्ठ संख्या 17
धारा 6 अठारह साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध । किसी भी शिक्षा संस्था के 100 गज के अंदर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।	200/- रूपये (धारा 24)	संदर्भ के लिए अनुलग्नक 2 पृष्ठ संख्या 25 और 23
धारा 7 तंबाकू उत्पादों के सभी पैकेट पर तर्सीर के साथ स्वारथ्य की चेतावनी उपलब्ध जगह के 85 प्रतिशत में (आगे और पीछे)	उत्पादक और निर्माता के मामले में : पहली बार पकड़े जाने पर : 2 साल कैद या 5000 रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों। दुसरी बार में पकड़े जाने पर : 5 साल तक कैद और 10000 रूपये तक का जुर्माना। वितरकों के मामले में : पहला अपराध 1000/- रूपये या 1 साल कैद या दोनों बाद में पकड़े जाने पर 2 साल कैद और 3000/- रूपये तक का जुर्माना।	संदर्भ के लिए अनुलग्नक 3 पृष्ठ संख्या 17

“ आओ मिलकर उत्तराखण्ड को तम्बाकू मुक्त बनायें ”

निम्नलिखित मुद्दों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।—

- 1) उत्तराखण्ड मीडिया द्वारा तम्बाकू के उपयोग से स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान के प्रति लोगों, शिक्षकों और छात्रों में जागरूकता बढ़ाएं।
- 2) उत्तराखण्ड में सभी सार्वजनिक जगहों को धुंआ (धूम्र) मुक्त करें।
- 3) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और परोक्ष विज्ञापन, संवर्धन तथा प्रायोजित नहीं करें।
- 4) उत्तराखण्ड की सभी शिक्षा संस्थाओं को तंबाकू मुक्त करें।
＊ कोटपा की धारा 6 (एं) के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का बिक्री 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को न करें।
- ＊ कोटपा की धारा 6 (बी) के तहत शिक्षा संस्थाओं के 100 गज के घेरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न हो।
- 5) सुनिश्चित करें कि किसी जगह (बोर्ड, गुमटी आदि) पर तंबाकू के विज्ञापन न हो।
- 6) सुनिश्चित करें कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी मौजूदा आदेश के अनुसार खुली सिगरेट या गुटका की बिक्री न हो।
- 7) सुनिश्चित करें कि सभी तंबाकू उत्पाद नई चित्र वाली स्वास्थ्य चेतावनी 85 प्रतिशत में प्रकाशित करें (आगे और पीछे)

Balajee Sewa Sansthan

Bringing economic & social development to the bottom of pyramid